

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

न अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए. 1955

संख्या:- 108/2025

सुखदेव पुत्र दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़

--:वादी

बनाम

- अमरु पुत्र बस्ती जाति जाट निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 गुरचरण पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 1 गुरनाम सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 4 प्रेमसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जाट निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 5 बलदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जाट निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 6 बाबूसिंह पुत्र भानसिंह जाति जाट निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 7 भीवराम पुत्र अंगदराज जाति जाट निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 8 मुरारीलाल (फौत)
 8/1 संजय पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 8/2 कचन पुत्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 8/3 पुष्पा पुत्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 8/4 कृष्णा पुत्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 8/5 कविता पुत्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 9 लाभसिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 10 सोहनलाल पुत्र दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़
 11 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़!
 12 जगसीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़

--:प्रतिवादीगण

स्थित :-

1. श्री अनिल शर्मा - अधिवक्ता वादी
2. श्री हरपाल सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 10
3. श्री नवदीप कड़वासरा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 8/1 ता 8/5, 12
4. एकपक्षीय कार्यवाही - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 7, 9
5. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 11

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई करारु हमारे बहाजरी श्री अनिल शर्मा वकील वादी, श्री हरपाल सिंह वकील प्रतिवादी सं. 10 श्री नवदीप कड़वासरा वकील प्रतिवादी सं. 8/1 ता 8/5, 12 व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया

है व डिक्री दी जाती है कि:- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.06.2025 पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./2889 दिनांक 06.08.2025 द्वारा प्राप्त जन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा जन में प्राप्त 0.506 हैक्टेयर में से .253 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी सं. 12 के पक्ष में दशुदा होने के कारण इनके पक्ष में मुताबिक काउंटर क्लेम डिक्री किये जाने में सहमति प्रदान है इसलिए वाद पत्र विभाजन में आंशिक संसोधन अनुसार डिक्री किया जाता है कि:- वादी देव सिंह की भूमि:- चक 23 एमएमके प.न. 92/211 मु.न. 23 कि.न. 20/253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 12 के हिस्सा की भूमि:- चक 23 एमएमके प.न. 91/211 मु.न. 24 कि.न. 16/253 कुल 0.253 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 10 के हिस्सा की भूमि:- चक एमएमके प.न. 91/211 मु.न. 24 कि.न. 17, 18 कुल 0.506 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 8/1 मय पुत्र मुरारीलाल के हिस्सा की भूमि:- चक 23 एमएमके प.न. 91/211 मु.न. 24 कि.न. 1/253, 19/253 कुल 0.506 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 9 गुरुचरण सिंह, गुरुनाम ह, बलदेव सिंह व लाभसिंह के हिस्सा की भूमि:- चक 23 एमएमके प.न. 91/212 मु.न. 26 कि.न. 1/253, 2/253 कुल 0.506 हैक्टेयर। उक्तानुसार खाता अलग अलग व रकमराज अलग मयमी के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई मयगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार जस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय द वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

सब्ज मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

17.10.2025
 (मांगी लाल) RAS
 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 हनुमानगढ